माननीय एन.के. सोढ़ी, जे. समक्ष

डॉ. वीर सिंह.- याचिकाकर्ता.

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य, उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1994 का क्रमांक 2991.

1 जुलाई, 1996,

भारत का संविधान, 1950-धारा. 226-पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड III, 1990-अध्याय LIV-RIs 2.1 और 3-अध्याय V(ए) के विनियम 4, 5 और 6-पंजाबी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961-अध्याय II के भाग-बी के खंड 6-खंड 15 अध्याय I-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योग्यता संवर्धन योजना-विश्वविद्यालय के नियम रीडर और प्रोफेसर के पदों को सीधी भर्ती के पद बनाते हैं-मेरिट प्रमोटी प्रोफेसर प्रोफेसरों के कैडर का हिस्सा नहीं बनते हैं, ऐसी योग्यता पदोन्नति उनके लिए व्यक्तिगत होती है-मेरिट प्रमोटी प्रोफेसर सीधे भर्ती किए गए प्रोफेसर्स की तुलना में वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति बिल्कुल अलग है – मेरिट से पदोन्नत प्रोफेसरों को रोटेशन के आधार पर विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास प्रोफेसरों के संवर्ग में स्थायी पद नहीं है-अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति रद्द।

निर्धारित किया जाता है कि, जब हम मेरिट प्रमोशन योजना के प्रावधानों की बारीकी से जांच करते हैं तो जो सामने आता है वह यह है कि यह एक फ्लेक्सिबल पूरक योजना है जिसमें कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाता है और मौजूदा व्यक्तियों को उनके काम के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। अगला उच्च स्तर और पद ऐसे पदधारियों के पास होता है जो उनका व्यक्तिगत होता है और जिसके परिणामस्वरूप कोई रिक्ति भरना आवश्यक नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, योजना यह प्रदान करती है कि जब एक रीडर को प्रोफेसर के रूप में योग्यता पदोन्नति दी जाती है, तो पदोन्नति संबंधित शिक्षक के लिए व्यक्तिगत होती है और वह तब तक प्रोफेसर के रूप में काम करना जारी रखेगा जब तक वह सेवा में है। उनकी पदोन्नति पर न तो प्रोफेसर का कोई अतिरिक्त पद सृजित होता है और न ही रीडर्स संवर्ग में कोई रिक्ति होती है। सेवानिवृत्ति के कारण या अन्यथा सेवा में न रहने पर, होने वाली रिक्ति एक रीडर की होगी जिस पद से उसे योग्यता पदोन्नति दी गई थी, न कि उस पद की जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है। पुनः, जब एक रीडर को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो वह अपने पद को उच्च स्तर पर ले जाता है और उसके काम छोड़ने पर, रीडर का पद रिक्त हो जाता है। आम तौर पर, जब कोई व्यक्ति निचले पद से उच्च पद पर पदोन्नत होता है, तो जिस पद से उसे पदोन्नत

किया जाता है वह पद रिक्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब किसी शिक्षक को योग्यता पदोन्नति योजना के तहत योग्यता पदोन्नति दी जाती है।

(आख्यान 12)

आगे निर्धारित किया गया गया कि योजना में परिकल्पना की गई है कि एक रीडर जो प्रोफेसर के रूप में योग्यता पदोन्नति प्राप्त करता है वह प्रोफेसर के कैडर का हिस्सा नहीं बनता है और वह कैडर के बाहर रहता है। पदोन्नति स्पष्ट रूप से एक पूर्व-कैडर पद पर होती है, जो पदधारी के पद से हटते ही प्रोफेसर का पद नहीं रह जाता है, यह उसके लिए व्यक्तिगत होता है। मेरिट प्रमोशन योजना की ये विशिष्ट विशेषताएं यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं कि मेरिट पदोन्नत व्यक्ति उस कैडर या पद का हिस्सा नहीं बनते हैं जिस पर उन्हें पदोन्नत किया जाता है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए वैधानिक नियम रीडर और प्रोफेसर के रूप में केवल सीधी भर्ती के माध्यम से पदों के विज्ञापित होने और ओपन मार्केट से आवेदन आमंत्रित करने के बाद नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, नियम शिक्षक के पद पर यानी व्याख्याता, रीडर या प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक व्याख्याता को रीडर के रूप में पदोन्नत किया जाए या किसी रीडर को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जाए वह क्रमशः रीडर्स और प्रोफेसर्स के कैडर का हिस्सा नहीं बनते हैं, लेकिन केवल वे रीडर्स और प्रोफेसर्स, जिन्हें सीधे तौर पर भर्ती किया गया है, रीडर्स और प्रोफेसर्स के कैडर का निर्माण करेंगे।

(आख्यान 12)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि सीधी भर्ती और योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति दोनों को चयन समिति द्वारा चयन के बाद नियुक्त किया जाता है, लेकिन उनके चयन का तरीका और उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। एक योग्यता प्रमोटी का चयन उसके विभाग में काम के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और चयन रीडर्स और लेक्चरर्स तक ही सीमित है जिसमें विभाग के भीतर से जो इस तरह की पदोन्नति के लिए पात्र हैं। दूसरी ओर, सीधी भर्ती का चयन पोस्ट विज्ञापित होने के बाद ओपन मार्केट से किया जाता है। इसलिए, दोनों चयनों को समान नहीं किया जा सकता। यह सच है कि विश्वविद्यालय योग्यता पदोन्नति देते समय पदधारी को परिवीक्षा पर रखता है, हालांकि यह योग्यता पदोन्नति योजना की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, ऐसे पदोन्नत व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

(आख्यान 13)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि चूंकि एक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति को कैडर में किसी मूल पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उस पद के लिए उसकी फिटनेस निर्धारित होने का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए, उसे परिवीक्षा पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

(आख्यान 13)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि केवल इसलिए विश्वविद्यालय स्वयं योजना में कोई प्रावधान किए बिना एक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखने का विकल्प चुनता है, ऐसे पदोन्नत व्यक्ति को सीधी भर्ती के बराबर नहीं समझा जाएगा।

(आख्यान 13)

इसके अलावा, यह निर्धारित गया कि सीधी भर्ती और योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति का वेतनमान समान होने पर भी दोनों समान नहीं होंगे और न ही यह डॉ. रश्मी श्रीवास्तव बनाम विक्रम विश्वविद्यालय और अन्य मामले में निर्णय का अनुपात बनाएगा। जे.टी.1995 (4) एस.सी. 51 का मामला मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता।

(आख्यान 14)

आगे यह निर्धारित किया गया कि एक योग्यता प्रमोटी उस पद के कैडर का हिस्सा नहीं है जिस पर उसे पदोन्नत किया गया है और केवल वे ही हैं जिन्हें कैडर में एक मूल पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाता है।उनके पद उन पदों के संवर्ग के भाग के रूप में विज्ञापित किए जाते हैं जिन पर उन्हें नियुक्त किया गया है। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और नियमों में योग्यता पदोन्नति के लिए कोई प्रावधान नहीं है ताकि पदोन्नत लोगों को कैडर का हिस्सा बनाया जा सके, इसलिए सीधे भर्ती किए गए लोगों के साथ उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। योग्यता से पदोन्नत होने वाले अपने आप में एक वर्ग बनाते हैं जो कैडर से बाहर रहते हैं। निःसंदेह, योग्यता प्राप्त पदोन्नतियों के बीच परस्पर वरिष्ठता हो सकती है, लेकिन यहाँ विवाद नहीं है।

(आख्यान 14)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि अध्याय LIV में निहित नियम 2.1, पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर खंड III, 1990 का अवलोकन यह बताता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी विभाग का अध्यक्ष/प्रमुख विभाग में प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन से नियुक्त किया जाता है। एक विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता निर्णय केवल उन लोगों में से ही निर्धारित किया जाना है जो कैडर के सदस्य हैं और चूंकि योग्यता से पदोन्नत लोग कैडर से बाहर हैं, इसलिए उन्हें किसी विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब वरिष्ठता निर्धारित/गिनती होती है तो वे तस्वीर में नहीं आते हैं। इसके अलावा, इस नियम में 'प्रोफेसर' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्हें प्रोफेसर के मूल पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी विज्ञापन के माध्यम से और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस रीडर को प्रोफेसर के रूप में योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई है, वह प्रोफेसरों के कैडर का हिस्सा नहीं है और इसलिए, ऐसा योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति किसी विभाग के

अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। यह फिर से इस प्रकार है कि केवल विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सीधे भर्ती किया गया प्रोफेसर ही योग्यता पात्र है। परिणाम में, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी 3 कानून विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।

(आख्यान 15)

इसके अलावा, पंजाबी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961 के अध्याय 1 का नियम 15 केवल कैडर के सदस्यों की वरिष्ठता से संबंधित है, जिसमें अकेले सीधे भर्ती किए गए शिक्षक शामिल हैं। इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती और योग्यता से पदोन्नत लोगों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करना उचित नहीं है।

(आख्यान 20)

जे.एस. खेहर, वरिष्ठ वकील और ए.एम. पुंछी, वकील - याचिकाकर्ता के लिए

अनुपम गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकील।

राजीव आत्मा राम, प्रतिवादी संख्या 3 के वकील।

निर्णय

एन.के. सोढ़ी, जे.

(1) क्या कोई विश्वविद्यालय शिक्षक, जिसे प्रोफेसर के रूप में योग्यता पदोन्नति दी गई है, प्रोफेसरों के कैडर का सदस्य होने का दावा कर सकता है ताकि वह रोटेशन द्वारा विभाग का प्रमुख नियुक्त होने के योग्य हो सके और क्या योग्यता पदोन्नति वाला, सीधे भर्ती किए गए शिक्षक पर वरिष्ठता दावा कर सकता है, दो प्रश्न हैं जो इन दो सिविल रिट याचिकाओं 2991/1994 और 14161/1995 में निर्धारण के लिए उठते हैं, जिन्हें मोशन बेंच द्वारा एक साथ सुनने का आदेश दिया गया था। चूंकि दोनों रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे एक जैसे हैं, इसलिए इस फैसले से उनका निपटारा किया जा रहा है, 1994 की सिविल रिट याचिका 2991।

(2) यहां याचिकाकर्ता डॉ. वीर सिंह हैं जो पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (संक्षेप में विश्वविद्यालय) में कानून विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 1 अक्टूबर, 1970 को विश्वविद्यालय के कानून विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 1975 में, एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से, उन्हें सीधी भर्ती द्वारा उसी विभाग में रीडर नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 फरवरी, 1976 को इस प्रकार अपना कार्यभार संभाला। प्रोफेसर का पद वर्ष 1985 में रिक्त हो गया और उसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था। इसके अनुसार विज्ञापन दिया गया और उम्मीदवारों के

इंटरव्यू के लिए बाहरी विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति का गठन किया गया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 उन सात उम्मीदवारों में से थे जो इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए थे। चयन समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए याचिकाकर्ता का चयन किया। याचिकाकर्ता ने अपने चयन पर 1 दिसंबर, 1986 को विभाग में कानून के प्रोफेसर के पद पर कार्यभार संभाला और उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था।

(3) प्रतिवादी 3 विश्वविद्यालय में कानून विभाग में प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत है। 7 जुलाई, 1969 को उन्हें खुले चयन द्वारा विभाग में व्याख्याता नियुक्त किया गया। वर्ष 1975 में, उन्हें खुले चयन के माध्यम से उसी विभाग में इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा रीडर नियुक्त किया गया। वास्तव में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 दोनों को एक ही चयन में रीडर के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद वाले को चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में उच्च स्थान दिया गया था, जो रीडर के रूप में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ था। प्रतिवादी 3 ने प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था जो वर्ष 1985 में रिक्त हो गया था जिसे सीधी भर्ती द्वारा विज्ञापन के बाद भरा गया था। उन्होंने अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा की जिन्होंने विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था लेकिन उनका चयन नहीं किया गया था। विज्ञापित पद पर डॉ. एस.पी. तिवारी का चयन किया गया और उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया। फिर वर्ष 1986 में प्रोफेसर का एक और पद रिक्त हो गया जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था और उसे नियमों के अनुसार विज्ञापित किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 दोनों, जो विभाग में रीडर के रूप में कार्यरत थे, ने अन्य लोगों के साथ उक्त पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का चयन किया गया लेकिन प्रतिवादी 3 असफल रहा। हालाँकि, वर्ष 1987 में, प्रतिवादी 3 ने मेरिट प्रमोशन स्कीम (जिसे पर्सनल प्रमोशन स्कीम के रूप में भी जाना जाता है) के तहत प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए आवेदन किया और चयनित हो गया। तदनुसार उन्हें 23 नवंबर, 1987 को उपरोक्त योजना के तहत एक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था और तब से वह काम कर रहे हैं और प्रोफेसर के रूप में उनकी पदोन्नति पर उन्हें एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विश्वविद्यालय ने कानून विभाग या किसी अन्य विभाग में प्रोफेसरों की कोई वरिष्ठता सूची प्रसारित नहीं की है और याचिकाकर्ता ने 18 अक्टूबर, 1993 को कुलपति को संबोधित एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें प्रतिवादी 3 के रूप में प्रोफेसर के रूप में उनकी वरिष्ठता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया, जो एक योग्यता पदोन्नत प्रोफेसर हैं। चूंकि याचिकाकर्ता को कुलपति से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आगे अनुस्मारक और अभ्यावेदन भेजे, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के साथ संलग्नक के रूप में संलग्न की गई हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठता अर्थात प्रतिवादी 3 में अपनी स्थिति जानना आवश्यक हो गया था क्योंकि कानून विभाग के अध्यक्ष का

पद 1 अप्रैल, 1994 से तत्कालीन पदाधिकारी सेवानिवृत्ति पर रिक्त हो रहा था। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का पद वरिष्ठता के अनुसार प्रोफेसरों में से रोटेशन द्वारा भरा जाता है। याचिकाकर्ता से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कुलपति ने उसे रजिस्ट्रार को भेज दिया। इस बीच, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 की प्रोफेसर के रूप में पुष्टि के संबंध में मामला 27 मार्च, 1988 को हुई बैठक में सीनेट के समक्ष रखा गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 दोनों तब प्रोबेशन पर प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, पूर्व को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था जबकि बाद वाले को योग्यता से पदोन्नत किया गया था। सीनेट ने निर्णय लिया कि जो रीडर और लेक्चरर 31 मार्च, 1986 को या उससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में यूजीसी) मेरिट प्रमोशन योजना के तहत पदोन्नति के लिए पात्र थे और 26 नवंबर, 1987 तक प्रोफेसर और रीडर के रूप में पदोन्नत हुए थे, उन्हें 26 नवंबर, 1987 से पुष्टि की जाएगी। प्रतिवादी 3 प्रोफेसरों की इस श्रेणी में आए और इस तिथि से उनकी पुष्टि की गई। उन लोगों के संबंध में जिन्हें सेवारत रीडरों में से सीधे प्रोफेसर के रूप में भर्ती किया गया था और जिनकी नियुक्तियाँ 31 मार्च, 1986 के बाद की गई थीं, सीनेट ने उन्हें 26 नवंबर, 1987 से प्रभावी रूप से पुष्टि करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता जो इस श्रेणी में आते हैं उनकी पुष्टि भी उसी तिथि से की गई जिस दिन प्रतिवादी 3 की पुष्टि की गई थी। सीनेट ने आगे निर्णय लिया कि विभागों में संबंधित शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित निचले कैडर के समान होगी, यानी अगले उच्च पद पर पदोन्नति/नियुक्ति से पहले, बशर्ते कि उन्हें उसी तिथि पर पुष्टि की गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में निर्णय सीनेट द्वारा लिया गया था क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए बनाए गए नियम (बाद में इसे वरिष्ठता नियम कहा जाएगा) जैसा कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II 1990 के पृष्ठ 144 में निहित है। जो यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं वह एक ही तिथि पर स्थायीकरण पाने वाले शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में मौन है।

"विश्वविद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण

1. किसी विशेष संवर्ग में शिक्षक की वरिष्ठता उसकी पुष्टि की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
2. जहां नियुक्ति के लिए एक ही समय में दो या दो से अधिक शिक्षकों का चयन किया जाता है, उनकी वरिष्ठता चयन समिति द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार निर्धारित की जाएगी, कर्तव्यों में शामिल होने की तारीखों पर ध्यान दिए बिना। बशर्ते कि उच्च रैंक वाले शिक्षक के मामले में शामिल होने की तारीख उसे नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से छह महीने के बाद की न हो। हालाँकि, यह छह महीने से अधिक समय के लिए विश्वविद्यालय के बाहर प्रतिनियुक्ति या ड्यूटी पर भेजे गए विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।

3. जहां किसी शिक्षक या शिक्षकों की सापेक्ष वरिष्ठता अन्यथा संदेह में है, रजिस्ट्रार, अपने प्रस्ताव पर और संबंधित शिक्षक के अनुरोध पर मामले को सिंडिकेट को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

नियम 3 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि जहां शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता किसी भी तरह से संदेह में है, रजिस्ट्रार स्वयं और संबंधित शिक्षक के अनुरोध पर मामले को सिंडिकेट को प्रस्तुत करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। चूंकि रजिस्ट्रार ने सोचा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 की परस्पर वरिष्ठता के बारे में कोई संदेह नहीं है क्योंकि दोनों की पुष्टि एक ही दिन यानी 26 नवंबर, 1987 को की गई थी मतलब 27 मार्च, 1988 के सेनेट के निर्णय के अनुसार, प्रतिवादी 3 रीडर के रूप में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे और बाद वाला एक प्रोफेसर के रूप में भी वरिष्ठ था। । नतीजतन, रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सहित सभी संबंधित शिक्षकों को सूचित किया, न कि केवल 27 मार्च 1988 को लिए गए सेनेट के निर्णय के बारे में लेकिन प्रोफेसर के रूप में उनकी पुष्टि की तारीखें के बारे में भी। अनुलग्नक पी-8 इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि की तारीखों को सूचित करते हुए पारित आदेश की प्रति है। यह अनुलग्नक मूल आदेश का केवल एक उद्धरण है जो बहस के समय मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था। मेरिट प्रमोशन स्कीम के तहत पदोन्नत किए गए प्रोफेसरों की सूची में उत्तरदाता 4 का नाम क्रम संख्या पर 3 अंक है और उसके नाम के सामने पुष्टि की तारीख 26 नवंबर, 1987 अंकित है। फिर से उन प्रोफेसरों की सूची में, जिन्हें सीधी भर्ती के रूप में खुले चयन के माध्यम से नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 3 पर है और उन्हें भी 26 नवंबर, 1987 को पुष्टि की गई दिखाई गई है। यह आदेश इसे शिक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें केवल उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी पुष्टि 27 मार्च, 1988 को सेनेट द्वारा की गई थी। वर्तमान रिट याचिका मार्च, 1994 में दायर की गई थी और प्राथमिक याचिका यह है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी 3 से वरिष्ठ घोषित किया जाए क्योंकि चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को अनुपयुक्त पाया गया था, जिसमें पूर्व को प्रोफेसर के रूप में चयनित और नियुक्त किया गया था और इस कारण से भी कि याचिकाकर्ता के लगभग एक वर्ष बाद प्रतिवादी 3 का चयन किया गया था। प्रतिवादी 3 से वरिष्ठ घोषित किए जाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया एक अन्य आधार यह है कि प्रोफेसर के पद पर प्रतिवादी की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें कभी भी किसी मूल पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए, उनका याचिकाकर्ता से वरिष्ठ होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। सेनेट का निर्णय दिनांक 27 मार्च, 1988 और परिणामी आदेश रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 25 मई 1988 को पारित किया गया (रिट याचिका के साथ अनुबंध पी-8) जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 की पुष्टि की तारीखों को अधिसूचित किया गया है, जिसे भी उन्हीं कारणों से चुनौती दी गई है।

(4) जब रिट याचिका 7 मार्च 1994 को मोशन सुनवाई के लिए आई, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के प्रश्न को सिंडिकेट की अगली बैठक में निर्णय के लिए संदर्भित करे जो 10 मार्च, 1994 को हो रही थी। इस निर्देश के अनुसरण में, मामला सिंडिकेट के समक्ष रखा गया और यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 की परस्पर वरिष्ठता से संबंधित विवाद को श्री जगन नाथ कौशल की एक सदस्यीय समिति को भेजा जाएगा जो इस पर सिंडिकेट की ओर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत थी। श्री कौशल ने विषय पर प्रासंगिक तथ्यों और कानून की जांच करने के बाद राय दी कि प्रतिवादी 3 कानून विभाग में प्रोफेसर के रूप में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे। इस आदेश की एक प्रति बहस के दौरान पेश की गई और उसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। श्री कौशल द्वारा मामले का निर्णय लेने के बाद, कुलपति ने 1 अप्रैल, 1994 से तीन साल की अवधि के लिए प्रतिवादी 3 को कानून विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्त किया और यह आदेश उप रजिस्ट्रार (स्थापना) ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1994 के संचार के अनुसार प्रतिवादी 3 और कुछ अन्य लोगों को सूचित किया। चूंकि यह आदेश फाइलिंग के बाद पारित किया गया था , रिट याचिका की, 31 मार्च 1994 के संचार की एक प्रति को सिविल मिस्क 1996 का 5011 के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा गया था।

(5) विश्वविद्यालय की ओर से दायर लिखित बयान में, यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में विवाद को सिंडिकेट को भेजा गया था, जिसने बदले में इसे श्री जगन नाथ कौशल की एक सदस्यीय समिति को भेजा था, जिसने प्रतिवादी 3 को याचिकाकर्ता से वरिष्ठ मानते हुए मामले का फैसला किया था और इसलिए, निर्णय अंतिम है और उसके बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया है कि रिट याचिका देरी के आधार पर खारिज करने योग्य है। विश्वविद्यालय के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 की वरिष्ठता रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 25 मई, 1988 (रिट याचिका के साथ अनुबंध पी-8) द्वारा तय की गई थी और वर्ष 1994 में दायर की गई रिट याचिका अत्यधिक विलंबित थी। क्रमांक के आधार पर, प्रतिवादी 3 को याचिकाकर्ता से वरिष्ठ घोषित करने की कार्रवाई को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई है कि दोनों इस पद के अर्थ में प्रोफेसर थे और उन्हें एक ही तिथि पर पुष्टि की गई थी, प्रतिवादी 3 को 27 मार्च, 1988 के सीनेट के निर्णय के अनुसार रीडर के रूप में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ को प्रोफेसर के रूप में भी वरिष्ठ दर्जा दिया जाना था। विश्वविद्यालय ने प्रतिवादी 3 को एक मूल पद के विरुद्ध नियुक्त प्रोफेसर के रूप में निर्धारित है और इसलिए, सीधे प्रोफेसरों की भर्ती के बराबर समझा जाता है और तदनुसार उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की गई, जिसमें प्रतिवादी 3 को वरिष्ठ निर्धारित किया गया, हालांकि औपचारिक वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई

है। प्रतिवादी 3 ने भी अपने लिखित बयान में यही बात कही है। याचिकाकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय के रुख को विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों सहित शिक्षकों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के विपरीत होने के रूप में चुनौती दी जा रही है।

(6) श्री आशु पुंछी, याचिकाकर्ता के वकील ने पुरजोर पैरवी करके आग्रह किया कि प्रतिवादी 3 एक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति था और योग्यता पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नत होने के बाद वह कैडर में एक मूल पद के खिलाफ प्रोफेसर के रूप में काम नहीं कर रहा था और इसलिए, उसके और याचिकाकर्ता जो (याचिकाकर्ता) सीधी भर्ती होने के कारण प्रोफेसरों के कैडर में एक मूल पद पर नियुक्त किया गया था उसके बीच किसी भी पारस्परिक वरिष्ठता का कोई सवाल ही नहीं था। । उन्होंने मेरिट प्रमोशन स्कीम के प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मेरिट प्रमोटी कैडर के सदस्य नहीं थे और उनका प्रमोशन विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों का उल्लंघन था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रोफेसरों के कैडर से बाहर होने के कारण योग्यता से पदोन्नत लोगों को रोटेशन द्वारा किसी विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वकील के अनुसार, रोटेशन प्रणाली को केवल उन प्रोफेसरों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जो कैडर के सदस्य हैं और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए थे। प्रतिवादी को नियुक्त करने का कुलपति का आदेश इस प्रकार विभागाध्यक्ष के पद को याचिकाकर्ता ने इस आधार पर चुनौती दी है कि यह विश्वविद्यालय के वैधानिक नियमों का उल्लंघन है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने डॉ. रश्मी श्रीवास्तव बनाम विक्रम विश्वविद्यालय और अन्य (1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया।

(7) विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अनुपम गुप्ता और प्रतिवादी 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राजीव आत्मा राम ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का खंडन किया, यह तर्क दिया जा रहा है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ही प्रोफेसर थे जो प्रोफेसर के पद के लिए काम कर रहे थे। प्रोफेसरों के पद और सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त प्रोफेसर और योग्यता संवर्धन योजना के तहत पदोन्नत किए गए प्रोफेसर के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। वकील के मुताबिक, दोनों बराबर संख्या में लेक्चर देते हैं, समान कर्तव्य निभाते हैं और समान वेतनमान प्राप्त करते हैं और प्रोफेसरों के कैडर के सदस्य हैं और इसलिए, प्रतिवादी 3 अपनी वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र था। उत्तरदाताओं की ओर से आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 दोनों को एक ही तारीख में पुष्टि की गई थी। प्रतिवादी 3 को प्रोफेसर के रूप में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ रैंक देना था क्योंकि वह (प्रतिवादी 3) विभाग में रीडर के रूप में वरिष्ठ था। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने 27 मार्च, 1988 को

आयोजित सीनेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर भरोसा किया। विद्वान वकील ने डॉ. रश्मी श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अलग करने की भी कोशिश की और प्रस्तुत किया गया कि उस मामले में तथ्य और साथ ही नियम और विनियम उन लोगों से भिन्न थे जिनसे हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं।

(8) सबसे पहले मैं उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों से निपटना चाहता हूँ। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता क़ानून के प्रोफेसर होने के नाते उन्हें अपनी सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में पता था और भले ही विश्वविद्यालय ने उनकी वरिष्ठता 25 मई, 1988 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादी निर्धारित कर दी थी, यह केवल 18 अक्टूबर, 1993 को था कि याचिकाकर्ता ने पहली बार प्रतिनिधित्व किया- सफल न होने पर वर्तमान रिट याचिका वर्ष 1994 में दायर की जो अत्यधिक विलम्बित है और लैचेस के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रारंभिक आपत्ति में कोई दम नहीं है। पार्टियों का यह सामान्य मामला है कि विश्वविद्यालय ने अब तक कोई भी प्रोफेसरों की वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की नहीं किया है न ही विश्वविद्यालय स्तर पर या किसी विभाग स्तर पर और, इसलिए, याचिकाकर्ता के पास पहले किसी भी समय अपनी वरिष्ठता पर विवाद करने का कोई अवसर नहीं था। रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 मई, 1988 (रिट याचिका के साथ अनुबंध पी8) केवल याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 सहित बड़ी संख्या में प्रोफेसरों की पुष्टि की तारीखों को अधिसूचित करता है। इस आदेश को वरिष्ठता सूची नहीं कहा जा सकता है। यह केवल कुछ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की पुष्टि की तारीखों को अलग-अलग अधिसूचित करता है और उनकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, वरिष्ठता का प्रश्न तभी महत्वपूर्ण हो गया जब प्रतिवादी 3 के पूर्ववर्ती डॉ. एस.पी. तिवारी 31 मार्च, 1994 को सेवानिवृत्त हो गए और कानून विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख का पद 1 अप्रैल, 1994 को खाली हो गया। डॉ. एस.पी. तिवारी की आसन्न सेवानिवृत्ति के बारे में कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी 3 की तुलना में उनकी वरिष्ठता के संबंध में विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्थिति होने के कारण, रिट याचिका को विलंबित और पहली प्रारंभिक आपत्ति के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार निर्णय पर आपत्ति कायम है।

(9) विश्वविद्यालय द्वारा यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में विवाद को इस न्यायालय के आदेशों के तहत सिंडिकेट को भेजा गया था और श्री जगन नाथ कौशल द्वारा एक सदस्यीय समिति के रूप में सिंडिकेट की ओर से इसका निर्णय लिया गया था, ऊपर उल्लिखित वरिष्ठता नियमों के नियम 3 के संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम है। यह आपत्ति भी निराधार है। यह सच है कि जहां तक विश्वविद्यालय का संबंध है, शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने वाला सिंडिकेटेड का निर्णय अंतिम है, लेकिन संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत यह हमेशा इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बहस के समय इस प्रारंभिक आपत्ति पर वास्तव में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

(10) इससे पहले कि मैं पार्टियों से संबंधित प्रतिद्वंद्वी विवादों की खूबियों पर चर्चा करूं, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और तरीको के लिए विनियमों की जांच करना आवश्यक है और यूजीसी द्वारा परिचय के रूप में योग्यता प्रोत्साहन योजना के प्रावधान भी। पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर का अध्याय V(ए), खंड-1, 1989 विश्वविद्यालय के शिक्षकों और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। इस अध्याय के प्रावधान हैं विश्वविद्यालय द्वारा इनकी शक्तियों के अभ्यास में पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की धारा 31(1)(1) और (2)(ई) के तहत बनाये गये वैधानिक नियम । इस अध्याय के विनियम 1.1 में दर्शाया है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों का मतलब प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर और ऐसे अन्य लोग हैं जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित और नामित संस्थानों में सीनेट द्वारा शिक्षकों के रूप मेंअनुमोदित किया जा सकता है। विनियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें अध्याय-VI, कैलेंडर, खंड I में विनियमों में निर्धारित कक्षा ए के अन्य अधिकारियों के समान होंगी। अध्याय VI-ए के विनियम 1 के अनुसार, सभी विश्वविद्यालय शिक्षक यानी प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और कुछ अन्य (जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है) विश्वविद्यालय के क्लास ए अधिकारी हैं और उसी अध्याय में निहित विनियम 3.1 के अनुसार सेनेट उनकी नियुक्ति प्राधिकारी है। सेनेट के पास अकादमिक परिषद और सिंडिकेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद समय-समय पर यह निर्धारित करने की शक्ति है कि अध्ययन के कौन से विभाग हैं जिनके लिए प्रोफेसरशिप, रीडरशिप और लेक्चररशिप स्थापित की जाती हैं। प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या किसी अन्य शिक्षक की कोई नई नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि सेनेट ने पहले पद के सृजन को मंजूरी न दे दी हो। शिक्षक के पद पर नियुक्ति के तरीके के संबंध में नियम केवल विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से खुले चयन का प्रावधान करते हैं। अध्याय V(ए) के विनियम 4, 5 और 6 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें:-

"4. जब भी किसी शिक्षक के पद पर कोई रिक्ति होगी, पद विज्ञापित किया जाएगा और रिक्ति भरने से पहले आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बशर्ते कि कुलपति के पास चयन समिति के समक्ष विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ उपयुक्त व्यक्तियों के नाम रखने की शक्ति होगी।

5. इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी

(ए) कुलपति के पास अधिकार होगा-

(i) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आकस्मिक अस्थायी नियुक्ति की; और

(ii) पद के ग्रेड के भीतर उच्च प्रारंभिक वेतन की अनुमति दें:

(बी) सिंडिकेट को कुलपति की अनुशंसा पर आकस्मिक अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार होगा-

(i) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, या सीमित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर:

(ii) पद के ग्रेड के भीतर उच्च प्रारंभिक वेतन की अनुमति दें।

इस विनियम के तहत की गई नियुक्ति की सूचना सेनेट को दी जाएगी।

6.1 इस अध्याय के विनियम 5 और 8 में दिए गए अनुसार, सिंडिकेट प्रोफेसर या रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए 5 से 7 सदस्यों वाली एक चयन समिति नियुक्त करेगा, जिनमें से कम से कम दो विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर के विषय के विशेषज्ञ होंगे। यह समिति उपयुक्त व्यक्तियों का इंटरव्यू लेगी और सिफारिशें करेगी जिन्हें सिंडिकेट के समक्ष रखा जाएगा। यदि सिंडिकेट चयन समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह पद के पुन:विज्ञापन का आदेश दे सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो आवश्यक समझी जाए।

समिति, प्रोफेसर या रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करते समय, (i) अनुसंधान के लिए उसकी क्षमता (ii) एक शिक्षक के रूप में उसकी क्षमता, और (iii) आम तौर पर उसके पेशे के विषय में उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखेगी।

6.2 कोरम होगा-

(i) यदि समिति में पाँच सदस्य हों तो तीन:

(ii) यदि समिति में छह या सात सदस्य हों तो पाँच।

6.3 अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले विश्वविद्यालय के किसी भी सेवानिवृत्त या मानद शिक्षक को चयन समिति में बाहरी विशेषज्ञ के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त विनियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी शिक्षकों – चाहे वह प्रोफेसर, रीडर या लेक्चरर हो, को पद का विज्ञापन करने और खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित करने के बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना है। नियमावली में इनमें से किसी भी पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित

प्रक्रिया यह है कि सिंडिकेट प्रोफेसर या रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए 5 से 7 सदस्यों वाली एक चयन समिति नियुक्त करता है। चयन समिति में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर से विषय के कम से कम दो विशेषज्ञ शामिल होते हैं। चयन समिति तब उपयुक्त व्यक्तियों का इंटरव्यू लेती है और सिफारिशें करती है जिन्हें सिंडिकेट के समक्ष रखा जाता है। यदि सिंडिकेट सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं करता है. यह पोस्ट के पुनःविज्ञापन का आदेश दे सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई करें जो आवश्यक समझी जाए। यदि सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे सेनेट को भेज दिया जाता है जो चयनित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। अध्याय VI-ए में निहित विनियम 5 में प्रावधान है कि किसी मूल पद पर प्रत्येक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर, उसी अध्याय में निहित विनियम 2 के खंड (xi) के अनुसार, किसी पद पर परिवीक्षा पर रहने वाला व्यक्ति किसी पद पर अंतिम नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए चयन द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(11) प्रतिवादी-विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा शुरू की गई मेरिट प्रमोशन योजना की मुख्य विशेषताओं की अब जांच की जा सकती है। यह मानते हुए कि एक शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक मानकों और अनुशासन को बनाए रखने में एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है और एक शिक्षक को समग्र रूप से शिक्षण, अनुसंधान, परीक्षा और विस्तार गतिविधियों के कार्यक्रमों में समर्पित रूप से शामिल होना पड़ता है, यूजीसी विश्वविद्यालय में कार्यरत और शैक्षणिक मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से योग्यता संवर्धन योजना तैयार की गई। ऐसे शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जानी थी। इस योजना के उद्देश्य हैं:-

(1) "शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देना:
(2) ऐसे कार्य को संबंधित विषय क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के अधीन रखा जाए; और
(3) ऐसे शिक्षकों को, जो शैक्षणिक मान्यता के योग्य हैं, प्रतिस्पर्धी आधार पर व्यावसायिक उन्नति के लिए उचित अवसर प्रदान करना। यह योजना। इसलिए, इसे उचित रूप से "विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए योग्यता प्रोत्साहन योजना" नाम दिया जा सकता है। यह एक "फ्लेक्सिबल पूरक योजना" की प्रकृति में होगा जिसमें कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाता है और मौजूदा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर अगले उच्च स्तर पर पदोन्नत किया जाता है और यह पद ऐसे पदाधिकारियों के पास होता है जो उनके लिए व्यक्तिगत होते हैं और रिक्त पदों को भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी

योजना से शिक्षकों को उन्नत शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न होने के लिए काफी प्रोत्साहन मिलेगा और विशिष्ट योगदान देना जो मान्यता और पदोन्नति के योग्य हो।"

यह देखा जाएगा कि यूजीसी द्वारा सुझाए गए चयन को लागू करने की विधि यह है कि विश्वविद्यालय विभागों में शिक्षक उन्नत शिक्षण और अनुसंधान में लगे हुए हैं और जिनके संबंधित कैडर में 8 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद पहली बार योग्यता पदोन्नति के लिए योगदान दिया गया है, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष उस संस्थान में होने चाहिए जहां उसे इस तरह के मूल्यांकन और योग्यता पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। हालाँकि, जिस शिक्षक पर प्रारंभिक प्रेजेंटेशन में योग्यता पदोन्नति के लिए विचार किया गया है और चयनित नहीं किया गया है, वह केवल दो साल की समाप्ति के बाद ही अपना काम दोबारा प्रस्तुत कर सकता है। जो शिक्षक योग्यता पदोन्नति के लिए विचार करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष अधिकतम 31 दिसंबर तक अपना काम विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा। योजना में परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्तिगत शिक्षक के काम को संबंधित विषय/अनुशासन में दो रेफरी को भेजा जाना आवश्यक है जिन्हें कुलपति द्वारा चुना जाना है। किसी शिक्षक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्यता पदोन्नति केवल रेफरी की राय पर विचार करने के बाद विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर दी जानी है। योजना के अनुसार, चयन समिति में रीडर्स की पदोन्नति के मामले में कम से कम दो बाहरी विशेषज्ञ और प्रोफेसरों की पदोन्नति के लिए तीन बाहरी विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि एक व्याख्याता को दिया गया रीडर का पद या योग्यता पदोन्नति के माध्यम से एक रीडर को दिया गया प्रोफेसर का पद संबंधित व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होगा और इसके लिए मुख्य मानदंड योजना के तहत पदोन्नति कार्य की योग्यता के आधार पर होगी, न कि शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर। आगे यह भी प्रावधान है कि किसी विभाग के भीतर व्याख्याताओं या पाठकों के कुल स्थायी पदों की संख्या के 1/3 से अधिक को किसी भी समय अगले उच्च स्तर पर ऐसी योग्यता पदोन्नति नहीं मिल सकती है। पुनः, एक विभाग में दो से अधिक रीडर्स को प्रोफेसर के रूप में ऐसी योग्यता पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रोफेसरों के लिए योग्यता पदोन्नति के उद्देश्य से रीडर्स के कैडर में कुल पदों का निर्धारण करने के लिए ऐसी योग्यता पदोन्नति रखने वाले व्यक्तियों की गणना नहीं की जाएगी। यूजीसी योजना को लागू करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि प्रदान करता है। उन पदों की श्रेणी में कोई अतिरिक्त/अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जाना था, जहां से किसी व्यक्ति को योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अगले उच्च पद पर योग्यता पदोन्नति प्राप्त हुई हो। कर्मभूमि में इसलिए, अतिरिक्त पदों की मांग किए बिना उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

12) यह विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति और योग्यता संवर्धन योजना के प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले उपरोक्त वैधानिक नियमों के आलोक में है कि हमें पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करनी होगी और फैसले के पहले भाग में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जब हम योजना के प्रावधानों की बारीकी से जांच करते हैं तो जो बात सामने आती है वह यह है कि यह एक फ्लेक्सिबल पूरक योजना है जिसमें कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाता है और मौजूदा व्यक्तियों को उनके काम के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर अगले उच्च स्तर पर पदोन्नत किया जाता है और पद खाली कर दिया जाता है। ऐसे पदधारियों द्वारा इसे व्यक्तिगतज को निर्धारित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कोई भी रिक्ति भरने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कोई भी रिक्ति सृजित नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, योजना यह प्रदान करती है कि जब एक रीडर को प्रोफेसर के रूप में योग्यता पदोन्नति दी जाती है, तो पदोन्नति संबंधित शिक्षक के लिए व्यक्तिगत होती है और जब तक वह सेवा में है तब तक वह प्रोफेसर के रूप में काम करना जारी रखेगा। उनकी पदोन्नति पर न तो प्रोफेसर का कोई अतिरिक्त पद सृजित होता है और न ही रीडर्स संवर्ग में कोई रिक्ति होती है। सेवानिवृत्ति के कारण या अन्यथा सेवा में रहने पर, होने वाली रिक्ति एक रीडर की होगी जिस पद से उसे योग्यता पदोन्नति दी गई थी, न कि उस पद की जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है। पुनः, जब एक रीडर को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो वह अपने पद को उच्च स्तर पर ले जाता है और उसके काम छोड़ने पर, रीडर का पद रिक्त हो जाता है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति को निचले पद से उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो जिस पद से उसे पदोन्नत किया जाता है, वह रिक्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब किसी शिक्षक को योग्यता पदोन्नति योजना के तहत योग्यता पदोन्नति दी जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो योजना द्वारा उजागर किया गया है वह यह है कि प्रोफेसरों के लिए योग्यता पदोन्नति के उद्देश्य से रीडर्स के कैडर में कुल पदों का निर्धारण करने के लिए योग्यता पदोन्नति रखने वाले व्यक्तियों की गणना नहीं की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब एक रीडर को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे विभाग में प्रोफेसरों की कुल संख्या में नहीं गिना जाता है। इसी प्रकार, जब एक व्याख्याता को रीडर के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे विभाग में रीडरों की कुल संख्या में नहीं गिना जाता है। अलग ढंग से देखा जाए तो योजना की परिकल्पना है कि एक रीडर जो प्रोफेसर के रूप में योग्यता से पदोन्नति प्राप्त करता है, वह प्रोफेसर के कैडर का हिस्सा नहीं बन सकता है और वह कैडर से बाहर रहता है। पदोन्नति स्पष्ट रूप से एक पूर्व-कैडर पद पर होती है, जो पदधारी के पद से हटते ही प्रोफेसर का पद नहीं रह जाता है, यह उसके लिए व्यक्तिगत होता है। मेरिट प्रमोशन योजना की ये अनोखी विशेषताएं इसे पूरी तरह से स्पष्ट करती हैं कि योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति उस कैडर या पद का हिस्सा नहीं बनते जिस पर उन्हें पदोन्नत किया जाता है। दूसरी ओर, वैधानिक नियम- विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियमों में रीडर के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है और प्रोफेसरों के पद केवल सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापित किया जाने के बाद और खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित किये जाने के बाद होता है।

जैसा कि पहले देखा गया है, नियम शिक्षक के पद पर यानी व्याख्याता, रीडर या प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक रीडर के रूप में पदोन्नत किया गया एक व्याख्याता या एक प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया रीडर क्रमशः रीडर और प्रोफेसर के कैडर का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि केवल वे रीडर और प्रोफेसर जिन्हें सीधे भर्ती किया गया है, रीडर और प्रोफेसर के कैडर का निर्माण करेंगे।

(13) प्रति वादियों के विद्वान वकील ने बहुत जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जिस प्रोफेसर को योग्यता से पदोन्नति दी गई है और जिस प्रोफेसर को सीधे भर्ती किया गया है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों चयन के बाद और परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए हैं और यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम दोनों के बीच कोई अंतर न करें। मुझे डर है कि इन विवादों में भी कोई दम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीधी भर्ती और योग्यता से पदोन्नत दोनों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा चयन के बाद की जाती है, लेकिन उनके चयन का तरीका और उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। एक योग्यता प्रमोटर का चयन विभाग में उसके काम के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और चयन विभाग के भीतर के पाठकों और व्याख्याताओं तक ही सीमित होता है जो इस तरह की पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। सीधी भर्ती, दूसरी ओर, पद विज्ञापित होने के बाद खुले बाजार से चुना जाता है। इसलिए, दोनों चयनों को समान नहीं किया जा सकता। यह सच है कि विश्वविद्यालय योग्यता पदोन्नति देते समय पदधारी को परिवीक्षा पर रखता है, हालांकि यह योग्यता पदोन्नति योजना की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, ऐसे पदोन्नत व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम-1, 1989 के अध्याय VI (ए) में विनियम 2 के खंड (xi) में कहा गया है कि केवल ऐसे व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रखा जाएगा जिनकी कैडर पद पर अंतिम नियुक्ति के लिए फिटनेस निर्धारित की जानी है। चूंकि एक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति को कैडर में किसी मूल पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उस पद के लिए उसकी फिटनेस निर्धारित होने का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए, उसे परिवीक्षा पर रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, विनियमन में परिकल्पना की गई है कि केवल सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को, जिसे कैडर में एक मूल पद पर नियुक्त किया जाना है, उसकी अंतिम मूल नियुक्ति के लिए उसकी फिटनेस निर्धारित करने के उद्देश्य से परिवीक्षा पर रखा जाना चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालय स्वयं ही मेरिट प्रमोटी का चयन करता है योजना में इसके लिए कोई प्रावधान किए बिना परिवीक्षा पर ऐसे पदोन्नत व्यक्ति की तुलना सीधी भर्ती वाले व्यक्ति से नहीं की जाएगी।

(14) तब उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि डॉ.रश्मि श्रीवास्तव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला (सुप्रा) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और यह अलग था क्योंकि उस मामले में विक्रम विश्वविद्यालय योग्यता से पदोन्नत लोगों को कम वेतनमान दे रहा था और सीधी भर्ती वाले उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, जबकि

हमारे सामने मामला था। विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई भेद नहीं किया है और योग्यता से पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले दोनों ही समान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। डॉ. रश्मी श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में मेरिट प्रमोटी और सीधी भर्ती के वेतनमान निश्चित रूप से भिन्न थे, जबकि हमारे सामने वाले मामले में वे समान हैं, लेकिन मेरी राय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी भर्ती और योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति के वेतनमान समान होने पर भी दोनों समान नहीं होंगे और न ही यह डॉ. रश्मी श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात को मौजूदा मामले पर लागू नहीं करेगा। डॉ. रश्मी श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़ने के बाद, मेरी राय है कि यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू होता है। इस स्थिति में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि एक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति उस पद के कैडर का हिस्सा नहीं है जिस पर उसे पदोन्नत किया गया है और केवल वे ही हैं जिन्हें कैडर में एक मूल पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया है। उनके पदों के विज्ञापित होने के बाद विनियम उन पदों के कैडर का हिस्सा बनते हैं जिन पर उन्हें नियुक्त किया जाता है। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और नियमों में योग्यता पदोन्नति के लिए कोई प्रावधान नहीं है ताकि पदोन्नत लोगों को कैडर का हिस्सा बनाया जा सके, इसलिए सीधे भर्ती किए गए लोगों के साथ उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। योग्यता से पदोन्नत होने वाले अपने आप में एक वर्ग बनाते हैं जो ऊपर चर्चा के अनुसार कैडर के बाहर रहते हैं। निःसंदेह, योग्यता प्राप्त पदोन्नतियों के बीच परस्पर वरिष्ठता हो सकती है, लेकिन यहाँ विवाद नहीं है।

(15) एकमात्र प्रश्न जो अब विचार के लिए बचा हुआ है वह यह है कि क्या एक रीडर जिसे प्रोफेसर के रूप में योग्यता पदोन्नति दी गई है, उसे रोटेशन द्वारा अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड-III, 1990 के अध्याय LIV में निहित नियम 2.1 के प्रासंगिक भाग को देखना आवश्यक है जो निम्नानुसार है-

"2.1 प्रत्येक शिक्षण विभाग में एक अध्यक्ष/प्रमुख होगा जो पांच साल के शिक्षण अनुभव के साथ एक प्रोफेसर या रीडर या आठ साल के शिक्षण अनुभव के साथ एक व्याख्याता, सिंडिकेट की सिफारिशों पर सेनेट द्वारा नियुक्त व्याख्याता के रूप में नीचे बताए गए

(i) अप्रैल 1978 में इस प्रकार पदनामित अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, किसी विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख की नियुक्ति विभाग के प्रोफेसरों में से, वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा की जाएगी।

(ii) xx xx. xx"।

उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि किसी विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख को वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा विभाग के प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाना है। किसी विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण उन्हीं में से किया जाना है जो कैडर के सदस्य हैं और चूंकि योग्यता से पदोन्नत लोग कैडर से बाहर हैं, इसलिए उन्हें किसी विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब वरिष्ठता निर्धारित/गिनती होती है तो वे तस्वीर में नहीं आते हैं। इसके अलावा, इस नियम में 'प्रोफेसर' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो प्रोफेसर के मूल पद पर नियुक्त किए जाते हैं, यानी विज्ञापन के माध्यम से और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस रीडर को प्रोफेसर के रूप में योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई है, वह प्रोफेसरों के कैडर का हिस्सा नहीं है और इसलिए, ऐसा योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति किसी विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। यह फिर से इस प्रकार है कि केवल विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सीधे भर्ती किया गया प्रोफेसर ही पात्र है। परिणाम में, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी 3 कानून विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।

(16) ऊपर दर्ज कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और कानून विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख के रूप में प्रतिवादी 3 की नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। उत्तरदाताओं 1 और 2 को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त नियमों के नियम 2.1 के अनुरूप कानून विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख को उनकी वरिष्ठता के अनुसार सीधे भर्ती किए गए प्रोफेसरों में से नियक्त करें। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है

1995 की

(17) यहां याचिकाकर्ता पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (संक्षेप में विश्वविद्यालय) में सीधे भर्ती किए गए रीडर हैं और प्रतिवादी 4 से 10 रीडर के रूप में काम करने वाले योग्यता पदोन्नत हैं। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शिक्षण विभागों में काम करने वाले पाठकों/व्याख्याताओं की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची (रिट याचिका के साथ अनुबंध पी 2) तैयार की है जिसमें कुछ योग्यता पदोन्नतियों को उनकी निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर सीधी भर्ती से वरिष्ठ दिखाया गया है । रिट याचिका में की गई प्रार्थना वरिष्ठता सूची को रद्द करने और विश्वविद्यालय को निर्देश देने के लिए है कि वह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार और डॉ. रश्मी श्रीवास्तव मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पाठकों की वरिष्ठता सूची तैयार करे जिसका संदर्भ 1994 की सिविल रिट याचिका 2991 में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, राहत की मांग यह है कि विश्वविद्यालय को सीधे भर्ती किए गए रीडर्स की एक वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें उन मेरिट प्रमोटियों को बाहर रखा जाए जो मेरिट प्रमोशन स्कीम के तहत पदोन्नत होने के कारण रीडर्स के कैडर का हिस्सा नहीं हैं। उत्तरदाताओं ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि डॉ. रश्मी श्रीवास्तव का मामला (सुप्रा) इस मामले

के तथ्यों पर लागू नहीं होता है चूंकि विश्वविद्यालय के विनियमन में योग्यता पदोन्नति का भी प्रावधान है, और इसलिए, विश्वविद्यालय को सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों और उनकी निरंतर सेवा अवधि के आधार पर योग्यता पदोन्नतियों की परस्पर वरिष्ठता दिखाने वाली एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करना उचित है। उत्तरदाताओं के अनुसार, यह पंजाबी विश्वविद्यालय के क़ानून के नियम 15 अध्याय-1 में निहित वरिष्ठता नियम के अनुरूप है।

(18) इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करें, शिक्षकों की नियुक्ति के तरीके और वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। पंजाबी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961 की अनुसूची में पंजाबी विश्वविद्यालय के क़ानून शामिल हैं और इसका अध्याय II शिक्षण विभागों के निर्माण और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है। इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख होगा जो प्रोफेसर या रीडर हो सकता है और जिसके कर्तव्य और कार्य और नियुक्ति के नियम और शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसमें आगे प्रावधान है कि केवल ऐसे रीडर ही विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिनके पास किसी विश्वविद्यालय में लेक्चरर/रीडर के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से तीन साल का अनुभव पंजाबी विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में होना चाहिए। अध्याय II के भाग-बी का खंड 6 जो प्रासंगिक है, इस प्रकार है:-

"6. जब भी किसी प्राचार्य, विश्वविद्यालय प्रोफेसर, या विश्वविद्यालय रीडर, या विश्वविद्यालय व्याख्याता का कोई पद भरा जाना हो, तो इसका विज्ञापन किया जाएगा और आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

बशर्ते कि प्रोफेसर के पद के लिए, कुलपति के पास चयन समिति के समक्ष विचार के लिए विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ उपयुक्त व्यक्ति का नाम रखने की शक्ति होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में से नहीं होंगे या जो इसकी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं।"

इस अध्याय के खंड 10 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और रीडरों और व्याख्याताओं की सेवा की सभी शर्तें, जब तक क़ानून में अन्यथा परिभाषित न किया जाए, वर्ग ए के अन्य अधिकारियों के समान ही होंगे। यह अध्याय आगे प्रदान करता है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक दो वर्गों के होंगे, अर्थात्: -

(i) विश्वविद्यालय के नियुक्त शिक्षक; और
(ii) विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षक।

और यह कि किसी भी व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त या मान्यता नहीं दी जाएगी। क़ानून में 'सेवा' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ छुट्टी की अवधि सहित निरंतर सेवा की पूरी अवधि है और 'स्थायी पद' का अर्थ है समय की

सीमा के बिना और स्वीकृत पदों के कैडर में शामिल वेतन की एक निश्चित दर वाला पद। अनुसूची के अध्याय I का खंड 15 वरिष्ठता से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है-

"15. (1) जब भी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा कोई पद धारण करना है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनना है, तो ऐसी वरिष्ठता उसकी निरंतर सेवा की लंबाई के अनुसार निर्धारित की जाएगी ऐसा व्यक्ति अपने ग्रेड या पद पर, जैसा भी मामला हो, और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार, जैसा कि सिंडिकेट समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, जिन पर इस क़ानून के प्रावधान लागू होते हैं, एक पूर्ण और अद्यतन वरिष्ठता सूची पूर्वगामी खंड के प्रावधान के साथ तैयार करें और बनाए रखें।

(3) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सतत सेवा अवधि किसी विशेष ग्रेड या पद पर समान हो, या संबंधित वरिष्ठ- किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की सत्यता अन्यथा संदेह में है रजिस्ट्रार अपने प्रस्ताव पर, और ऐसे कोई भी व्यक्ति के अनुरोध पर मामले को सिंडीकेट को प्रस्तुत करेगा, उस पर सिंडिकेट का निर्णय अंतिम होगा।"

शिक्षकों की नियुक्ति के तरीके और तरीके को नियंत्रित करने वाले विश्वविद्यालय के क़ानूनों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें पदों के विज्ञापित और आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से स्वीकृत पदों के कैडर में शामिल स्थायी पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है। क़ानून इनमें से किसी भी पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं करता है। अध्याय I का खंड 15 जो वरिष्ठता से संबंधित है, यह प्रावधान करता है कि वरिष्ठता किसी व्यक्ति की उसके ग्रेड या पद पर, जैसी भी स्थिति हो, निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(19) विश्वविद्यालय ने उस योग्यता संवर्धन योजना को भी अपनाया और उसे भी क़ानून में शामिल किया गया है। यह वैसा ही है जैसा यूजीसी ने तैयार किया था। इसमें यह भी प्रावधान है कि व्याख्याताओं/पाठकों की अगले उच्च पद पर पदोन्नति संकाय पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना उनके पद पर की जाएगी। क़ानून में शामिल एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऐसी योग्यता पदोन्नति रखने वाले व्यक्तियों को प्रोफेसरों की योग्यता पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए रीडर्स के कैडर में कुल पदों को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। संक्षेप में, विश्वविद्यालय के क़ानूनों में शामिल मेरिट प्रमोशन योजना की बुनियादी विशेषताएं वही हैं जो यूजीसी द्वारा तैयार की गई थीं, हालांकि क़ानून मेरिट पदोन्नतियों की परस्पर वरिष्ठता का भी प्रावधान करते हैं, जिसे जिस पद से उन्हें पदोन्नत किया गया है उस पद पर उनकी वरिष्ठता अनुसार गिना जाना है। किसी भी क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो योग्यता प्राप्त पदोन्नतियों और सीधे भर्ती किए गए शिक्षकों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित हो और न ही योग्यता पदोन्नति प्राप्तकर्ताओं को सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के बराबर करने

का कोई प्रावधान है। ऐसे किसी भी प्रावधान के अभाव में, डॉ. रश्मी श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू होगा और 1994 की सिविल रिट याचिका 2991 का निर्णय करते समय मैंने जो भी निर्धारित किया है वह इस मामले पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा।

(20) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने न केवल डॉ. रश्मी श्रीवास्तव के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा ध्यान डॉ. केएम सुमन अग्रवाल बनाम कुलपति और अन्य (2) मामले में शीर्ष अदालत के नवीनतम फैसले की ओर भी आकर्षित किया, ताकि उनके तर्क का समर्थन किया जा सके कि एक योग्यता प्रमोटी उस कैडर का सदस्य होगा जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है और इसलिए विश्वविद्यालय उनकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने में सही था। इस तर्क पर केवल अस्वीकार करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। सुमन अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उस मामले में अपीलकर्ता रीडर के रूप में सीधी भर्ती था और तीसरा प्रतिवादी मेरिट प्रमोटी था। अगली पदोन्नति निदेशक के पद पर की जानी थी जो रिक्त हो गया। प्रश्न यह उठा कि निदेशक की नियमित नियुक्ति होने तक उस पद पर अस्थायी तौर पर किसे नियुक्त किया जाए। मेरिट प्रमोटी, जिसे पहले रीडर के रूप में पदोन्नत किया गया था, उसने सीधी भर्ती के समान वरिष्ठता का दावा किया था और उसके दावे को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियम 11 (i) के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, जो इस प्रकार है

"रीडर या प्रोफेसर का पद जिस पर व्यक्तिगत पदोन्नति की जाती है, वह प्रोफेसर या रीडर के कैडर में अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा, जैसा भी मामला हो, और पदधारी द्वारा उस पर कब्जा बंद करने पर पद समाप्त कर दिया जाएगा।"

व्यक्तिगत पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता प्रदान करने का भी एक नियम था जो निम्नानुसार है-

"एक ही कैडर में व्यक्तिगत पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों की अंतर-वरिष्ठता ऐसे कैडर में निरंतर सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।"

इन नियमों के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट प्रमोटी के सीधे पुनर्नियुक्ति से वरिष्ठ होने के दावे को बरकरार रखा क्योंकि उसे पहले पदोन्नत किया गया था। हमारे सामने मौजूद मामले में, ऐसा कोई नियम नहीं है जो योग्यता से पदोन्नत व्यक्ति को कैडर का सदस्य बनने का प्रावधान करता हो और न ही उनकी अंतर-वरिष्ठता का प्रावधान करने वाला कोई नियम है। ऊपर उद्धृत वरिष्ठता नियमों का नियम 15 केवल कैडर के सदस्यों की वरिष्ठता से संबंधित है जिसमें अकेले सीधे भर्ती किए गए शिक्षक शामिल हैं। इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती और योग्यता से पदोन्नत लोगों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करना उचित नहीं है।

(21) उपरोक्त कारणों से और जो हुआ है उसे देखते हुए 1994 की सिविल रिट याचिका 2991 में आयोजित, मैं याचिका कर्ता के तर्क को स्वीकार करता हूं और रिट याचिका वरिष्ठता सूची को रद्द करने की अनुमति देते हैं (रिट याचिका के साथ अनुबंध पी2)। विश्वविद्यालय: को केवल उन्हीं की नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है जो कैडर के सदस्य है।

अर्थात वरिष्ठता नियम के अनुसार सीधी भर्ती। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है। इस आदेश की प्रति सामान्य शुल्क के भुगतान पर दी जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा